PART

ACTION RESEARCH &
RESOURCE CENTRE

FIR - शिकायत पत्र का मूल प्रारूप

शिकायत पत्र का मूल प्रारूप

सेवा में

श्रीमान थानाध्यक्ष,

<पुलिस स्टेशन का नाम>

<पुलिस स्टेशन का पता >

<जिला , राज्य, पिन कोड>

विषय : घटना के संबंध में शिकायत <घटना का संक्षेप में उल्लेख करें>

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं, <आपका नाम, आपका पता , गाँव, पोस्ट, थाना , जिला , राज्य, पिन कोड> की स्थायी निवासिनी हूँ/ का स्थायी निवासी हूँ।

मैं आपको <दिनांक और दिन> को , <घटना का स्थान> के पास, लगभग <समय> बजे हुई गंभीर घटना के बारे में अवगत कराने के लिए और उचित कार्यवाही करने के लिए लिख रही / रहा हूँ।

<घटना के बारे में लिखते समय नीचे लिखे गए सारे बिंदुओं पर ध्यान से, थोड़ा वक़्त ले कर, याद कर के लिखें (जहाँ आपको ठीक से याद न हो , वहां पर "लगभग" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, या फिर, साफ़ साफ़ बतादें की आपको याद नहीं)>

- क्या हुआ था ? आप क्या कर रहे थे जब घटना हुई?
- कितने आरोपी हैं? २, ३, ४, ५, ऐसे याद कर के आरोपियों की संख्या बताएं
- आरोपी कौन है ? यदि आरोपी का नाम, पिता का नाम और गाँव का नाम मालूम हो, तो उसे भी चिट्ठी में शामिल करें। यदि किसी आरोपी का नाम/ पता नहीं मालूम हो, तो जितने भी ऐसे आरोपी हैं, उनकी संख्या के साथ लिख दें की इतने आरोपियों को आप शकल देखने पर पहचान सकते हैं लेकिन उनका नाम नहीं पता है।
    - जहां पर जाति का मामला है, वहां पर अपना और आरोपी, दोनों का जाति जरूर शामिल करें, इसके बिना एस.सी./एस.टी. कानून की धारा नहीं लगेगी। स्पष्ट रूप से लिखें कि आप अनुसुचित जाति / जनजाति से हैं, और अरोपी ऊंची जाति या फिर गैर-अनुसूचित जाति / जनजाति से हैं।
    - आरोपी का घर आपके घर से या फिर घटना स्थल से कितनी दूर है, यदि आपको पता हो, तो एक अनुमान लगाकर उसका भी उल्लेख करें।

शिकायत पत्र का उदाहरण

सेवा में

श्रीमान थानाध्यक्ष,

<पुलिस स्टेशन का नाम>

<पुलिस स्टेशन का पता >

<जिला , राज्य, पिन कोड>

विषय: शारीरिक हमले एवं जातिसूचक गाली-गलौज के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं, रमेश राम, निवासी – गाँव नवाडीह, पोस्ट – खिजरसराय, थाना – खिजरसराय, ज़िला – गया, बिहार, पिन कोड – 823003, इस पत्र के माध्यम से दिनांक 28/04/2025 को लगभग शाम 5:00 बजे मेरे साथ घटित एक गंभीर घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ। यह घटना मेरे घर से लगभग 500 मीटर दूर खेतों के पास सड़क पर हुई।

जब मैं बाजार से लौट रहा था, तभी तीन व्यक्तियों – सुनील यादव (पुत्र महेश यादव), राजेश यादव (पुत्र रघुनाथ यादव), और एक अज्ञात व्यक्ति जिसे मैं पहचान सकता हूँ यदि वह मेरे सामने लाया जाए – ने मुझे रोका। ये सभी नवाडीह गाँव के निवासी हैं और मेरे घर से लगभग एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।

सुनील यादव ने मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और मुझे जातिसूचक गालियाँ देने लगा। उसने कहा – "तुम लोग चमार होकर इतना भाव कैसे खाते हो?" यह सब सार्वजनिक स्थान पर जोर-जोर से बोला गया जिससे अन्य लोग भी सुन सके। इसके बाद राजेश यादव ने भी अपमानजनक जातिसूचक भाषा का प्रयोग किया और तीसरे व्यक्ति ने अपने साथ लाए बाँस की लकड़ी से मुझे मारना शुरू कर दिया।

यह घटना सार्वजनिक मार्ग पर हुई और इसे गाँव के दो लोगों – मुन्ना दास और राजू पासवान – ने देखा जो गवाह के रूप में बयान दे सकते हैं। इस हमले में मेरी पीठ और बाएँ हाथ में चोट आई। मैं उपचार हेतु खिजरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया, जहाँ मुझे प्राथमिक उपचार मिला। मैंने चिकित्सा पर्ची और बिल की प्रति संलग्न की है।

- यदि 1 से अधिक आरोपी व्यक्ति हैं , तो पहचानें कि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति क्या कर रहा था, और जहां तक संभव हो अपराध में उनकी प्रत्येक भूमिका का व्यक्तिगत रूप से वर्णन करें। उदाहरण के लिए, फलाना आरोपी ने पहले मेरा कंधा पकड़ा, और दुसरे आरोपी ने मुझे धमकी और जाती सुचक गालियां दी और तीसरे आरोपी ने मुझे लाठी से मारा।
    - जहां पर जाति सूचक गाली-गालौच का मामला है, ध्यान रखें कि आप केवल "जाति सूचक गाली" लिख कर ना छोड़ दे, लेकिन आरोपियों द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमल किया गया, उसे उसी रूप में शब्द-व-शब्द लिखें।
    - अगर अरोपी ने गाली किसी सार्वजनिक स्थल में दी हो, तो ये भी बात लिखें कि जाती सूचक गाली गालोच किसी सार्वजनिक स्थल में हुई, जैसे कि बाजार में या घर के बाहर जो सड़क है, या फिर ऐसी कोई जगह जहां पर और भी लोग थे जो अरोपी की बात सुन सकते थे।

- इस मुद्दे / घटना में आपको क्या हुआ उसका उल्लेख करें। अगर आपको कोई चोट पोहोंची हों तो कहाँ चोट लगी यह बताएं। अगर आपने किसी अस्पताल जाकर कोई इलाज करवाया हो, तो फिर उसका भी उल्लेख करें और विवरण दें। अस्पताल का कोई बिल या फिर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन या फिर ऐसे कोई भी दस्तावेज हों तो अपनी लिखित चिट्ठी में साथ में संलग्न कर दें

- अगर आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया हो, जैसे लाठी, चाकू, पिस्तौल, तो उसे भी चिट्ठी में शामिल करें।

- घटना के साक्षी कौन थे? घटना के समय अगर कोई भी आस पास था, या अगर आपको याद हो की कोई अन्य लोग घटना के स्थल पर मौजूद थे, तो उनका भी उल्लेख करें। अगर उनका नाम, पिता का नाम और गाँव का नाम मालूम हो तो लिख दें।
- यदि यह कोई सार्वजनिक हित का मुद्दा है, तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अगर घटना के पीछे का कोई सन्दर्भ हो, पहले से कोई और विवाद हो तो उसका भी विवरण दें - जितना विस्तृत रूप से विवरण दे सकते हैं, दिन, तारीख, समय के साथ, थोड़ा याद कर के लिखें।

- यदि किसी पुलिस अधिकारी ने एफआईआर (FIR) दर्ज करने से इनकार कर दिया था या आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो कृपया घटना का विस्तार से वर्णन करें - की आप कौनसी तारीख और समय को पुलिस थाने गए, और आपने जब घटना के बारे में बताने की कोशिश की तो आपके साथ क्या व्यवहार हुआ।

यह हमला पूर्व नियोजित प्रतीत होता है क्योंकि दो सप्ताह पहले सुनील यादव से सिंचाई के पानी को लेकर मेरा विवाद हुआ था, जिसमें उसने मुझे जातिसूचक गालियाँ दी थीं और जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने दिनांक 15/04/2025 को थाना खिजरसराय में मौखिक शिकायत देने का प्रयास किया था, लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की गई और मुझे कहा गया कि आपस में सुलझा लो।

अत: मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करें और निष्पक्ष जांच करें। मैं जांच में पूर्ण सहयोग करने को तैयार हूँ।

प्रति की प्रति:
- पुलिस अधीक्षक, गया
- पुलिस महानिदेशक, बिहार
- पुलिस महानिरीक्षक (दलित-आदिवासी प्रकोष्ठ), बिहार

आपका बहुत धन्यवाद!
रमेश राम

गाँव नवाडीह, पोस्ट – खिजरसराय,
थाना – खिजरसराय, ज़िला – गया,
बिहार – 823003
मोबाइल: 919234262131
तारीख: 30/04/2025

संलग्न (फोटोकॉपी):
- खिजरसराय पीएचसी की चिकित्सा पर्ची और उपचार बिल
- आधार कार्ड (पहचान पत्र के रूप में)

इसलिए मैं आपसे इस मामले को देखने और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं / करता हू। आशा है की आप वक़्त रहते ही उचित कदम उठाएंगे इसके लिए मैं आपकी / आपका आभारी रहूंगी / रहूँगा। यदि आपको घटना के संबंध में और जानकारी चाहिए तो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगी / रहूँगा।

प्रतिलिपि -
1. पुलिस अधिक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, पटना
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार
3. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसन्धान विभाग (कामज़ोर वर्ग), बिहार

आपका बहुत धन्यवाद!
प्रार्थी

<आपका नाम>
<आपका पता, गाँव, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड>
<ईमेल पता>
<फोन नंबर>
<तारीख>

इस शिकायत के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ लगायें -
- कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जो मुद्दे से संबंधित हो;
- ली गई तस्वीरें
- मेडिकल रिपोर्ट्स
- यदि आपके पास कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसका उल्लेख चिट्ठी में करें
- लिखित शिकायत में आपने जो भी आरोप लगाया है उसे साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत

याद रखें

चिट्ठी को भेजते समय एक कॉपी अपने पास रखें।
चिट्ठी को रजिस्टर्ड डाक से भेज कर उसका रसीद अपने पास रखें।